भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 354
बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर पीवी मॉड्यूल की घरेलू विनिर्माण क्षमता का विस्तार

***354. श्री अनिल फिरोजिया:**

श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात सहित देश में सौर प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूलों, सेलों और इनसे संबद्ध अपस्ट्रीम घटकों की घरेलू विनिर्माण क्षमता के विस्तार में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) विशेषकर उक्त राज्यों सहित देशभर में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के संबंध में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना तथा मॉडल एवं विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM) का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) सरकार द्वारा वेफर्स, इनगोट और पॉलीसिलिकॉन सहित महत्वपूर्ण कच्चे आदानों और मध्यवर्ती आदानों के घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करके एक एकीकृत सौर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) घरेलू विनिर्माण के माध्यम से सौर उपकरणों की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने और विशेषकर बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात सहित देश में सौर विनिर्माण पारितंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या भावी कार्य योजना/रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ.) क्या सरकार का विचार बिहार तथा अकोला जिले सहित महाराष्ट्र में सौर पीवी विनिर्माण इकाइयों और सहायक उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा शिक्षा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ.): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'सौर पीवी मॉड्यूल की घरेलू विनिर्माण क्षमता का विस्तार' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 354 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): स्वदेशी सौर पीवी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापक रूप से वृद्धि हुई है। मॉडलों और विनिर्माताओं की स्वीकृत लिस्ट- I के अंतर्गत मार्च, 2023 में सौर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगभग 22 गीगावाट थी, जो वर्तमान में बढ़कर 213 गीगावाट हो गई है। सौर पीवी सेलों के लिए प्रथम ALMM लिस्ट- II दिनांक 31.07.2025 को जारी की गई थी, जिसमें लगभग 13 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता थी, जो वर्तमान में बढ़कर 32 गीगावाट हो गई है। स्थापित इनगॉट एवं वेफर विनिर्माण क्षमता लगभग 2 गीगावाट है। वर्तमान में, देश में पॉलिसिलिकॉन का कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं है। सौर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित करने वाली कंपनियां, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात सहित भारत में कहीं भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकती हैं। वर्तमान ALMM के अनुसार, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में सौर मॉड्यूल और सौर सेलों की स्थापित मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं इस प्रकार हैं:

राज्य	**सौर मॉड्यूल (GW)**	**सौर सेल (GW)**
बिहार	0.08	0
महाराष्ट्र	12.6	0.6
गुजरात	110	12.5

(ख): दिनांक 28.04.2021 को, MNRE ने उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए PLI योजना (भाग-I) हेतु योजना दिशानिर्देश जारी किए थे। साथ ही, सौर मॉड्यूलों के लिए ALMM की पहली लिस्ट दिनांक 10.03.2021 को जारी की गई थी। इन उपायों ने स्वदेशी सौर पीवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने में योगदान दिया है। वाणिज्य विभाग की निर्यात-आयात डाटा बैंक वेबसाइट के संबंध में, भारत में सौर मॉड्यूलों का आयात वित्त वर्ष 2021-22 में 3,363 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 994 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(ग): सरकार, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, 48,337 मेगावाट पूर्ण/आंशिक रूप से समेकित सौर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र (Letters of Awards) जारी किए गए हैं। PLI राशि सौर पीवी मॉड्यूलों में स्थानीय सामग्री से जुड़ी हुई है, जिससे स्वदेशी सौर पीवी मैन्युफैक्चरिंग तंत्र के विकास के लिए नए आयामों का सृजन होता है।

(घ): सरकार ने स्वदेशी सौर मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, नवीन और

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की कुछ खास योजनाओं के अंतर्गत स्वदेशी सामग्री की अनिवार्यता (DCR) प्रावधान, सौर सेलों और मॉड्यूलों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक विशिष्ट पूंजीगत सामग्री के आयात पर सीमा शुल्क की छूट, तथा आयातित सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों पर सामान्य सीमा शुल्क (BCD) लगाना शामिल है। कंपनियां बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात सहित देश में कहीं भी अपनी वाणिज्यिक तथा व्यावसायिक सोच के आधार पर सौर मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ड.): उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए PLI योजना के अंतर्गत चयनित मैन्युफैक्चरों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार लगभग 73,400 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। योजना के अंतर्गत सौर पीवी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित कर रहे मैन्युफैक्चरर बिहार और महाराष्ट्र के अकोला जिला सहित साथ-साथ भारत में कहीं भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकते हैं।
